रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939
No. 858] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017

सं. 47/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.1304(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 में,

(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता ; या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में, "तीन मास की समाप्ति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) **प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में,**

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											।"

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"विवरण 4 [नियम 89 (2)(घ)और 89 (2)(ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	**बीजक ब्यौरे**			**पोतपरिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक**		**एकीकृत कर**		**उपकर**	**नामे नोट यदि कोई हो, में अंतर्वलि एकीकृत कर और उपकर**	**जमा पत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर**	**शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10–11)**
	सं.	**तारीख**	**मूल्य**	**सं.**	**तारीख**	**कराधेय मूल्य**	**रकम**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											."

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड **(i)** में अधिसूचना सं. 3/2017 तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जो सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार सा.का.नि. 1251(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 45/2017 केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

No. 47/2017–Central Tax

G.S.R.1304(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, –

(i) in rule 89, insub-rule (1), for third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided also that in respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by, -

(a) the recipient of deemed export supplies; or

(b) the supplier of deemed export supplies in cases where the recipient does not avail of input tax credit on such supplies and furnishes an undertaking to the effect that the supplier may claim the refund";

(ii) in rule 96A, in sub-rule (1), in clause (a),after the words "after the expiry of three months", the words ", or such further period as may be allowed by the Commissioner," shall be inserted;

(iii) in **FORM GST RFD-01,**

(a) for **"Statement-2",** the following Statement shall be substituted, namely:**-**

"Statement- 2 [rule 89(2)(c)]

Refund Type: Exports of services with payment of tax

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax		Cess	BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											";"

(b) for **"Statement-4",** the following Statement shall be substituted, namely:**-**

"Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10–11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											."

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June,2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 45/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published vide number G.S.R 1251 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017

सं. 48/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.1305(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध माल की पूर्तियों को समझे गए निर्यातों के रुप में अधिसूचित करती है, अर्थात्

सारणी

क्रम सं.	पूर्ति का वर्णन
(1)	(2)
1	अग्रिम प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
2	निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार के प्रति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजी माल की पूर्ति
3	निर्यातोन्मुख यूनिट को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति
4	अग्रिम प्राधिकार के प्रति अधिसूचना सं. 50/2017–सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट किसी बैंक या पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा स्वर्ण की पूर्ति

स्पष्टीकरण :-

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, --

1. "अग्रिम प्राधिकार" से आयात के लिए या भौतिक निर्यातों के लिए पूर्व आयात आधार पर इनपुट के घरेलू उपापन के लिए विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के अध्याय 4 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है

2. निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार से भौतिक निर्यातों के लिए पूंजी माल के लिए आयात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 5 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी प्राधिकार अभिप्रेत है

3. "निर्यातोन्मुख यूनिट" से विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या साफटवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अभिप्रेत है।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

गुंजन कुमार वर्मा,अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

No. 48/2017-Central Tax

G.S.R.1305 (E).—In exercise of the powers conferred by section 147 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the supplies of goods listed in column (2) of the Table below as deemed exports, namely:—